उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com
दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांक : 464 / सू.एवंलो.स.वि.(विज्ञा.) 42 / 2016 दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 एवं तत्सम्बन्धी संशोधनों में निहीत प्राविधानों के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्रकाशित एवं विभाग में पूर्व से सूचीबद्ध समाचार पत्र– पत्रिकाओं से सूचीबद्धता नवीनीकृत हेतु प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में सूचीबद्धता संचालन समिति की दिनांक 12 से 15 जून 2017 एवं 4 से 5 सितम्बर 2017 को आयोजित बैठकों में समिति की संस्तुति के क्रम में सूचीबद्धता नवीनीकृत पत्र–पत्रिकाओं में से कतिपय समाचार पत्र–पत्रिकाओं के नाम निर्गत किये गये कार्यालय आदेश में त्रुटिवश छूट गये थे, की सूचीबद्धता निम्न तालिकानुसार नवीनीकृत की जाती है:–

क्र. सं.	पत्र का नाम, अवधि, प्रकाशन स्थल एवं पता	सूचीबद्धता नवीनीकृत की तिथि	समाचार पत्र की दर (डीएवीपी / विभागीय)	प्रसार संख्या	दर
1	हिन्दी साप्ताहिक उत्तरांचल संचेतना, नैनीताल	10 जुलाई, 2017	डीएवीपी	16000	14.21
2.	हिन्दी साप्ताहिक अनुभव प्रकाश दर्पण, देहरादून	26 सितम्बर, 2017	विभागीय	5100	10.93
	हिन्दी साप्ताहिक तरूण दर्पण, देहरादून	26 सितम्बर, 2017	विभागीय	5100	10.93

उक्त समाचार पत्र जिन्हें डी.ए.वी.पी. दर प्राप्त है, उनको नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत डी.ए.वी.पी. दर पर तथा जो समाचार पत्र विभाग में न्यूनतम दर पर पूर्व से ही सूचीबद्ध थे की सूचीबद्धता उनके द्वारा घोषित तथ्यों को बिना किसी पूर्वाग्रह के उनके शपथ पत्र के आधार पर नवीनीकृत की गई है। भविष्य में प्रसार संख्या सहित किसी भी अन्य तथ्य के गलत या भ्रामक पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सूचीबद्धता निरस्त करने का अधिकार समिति का होगा। नवीनीकृत समाचार पत्रों, जिनको डी.ए.वी.पी. दर प्राप्त नहीं है, उनको घोषित प्रसार संख्या के आधार पर नियमावली के अनुसार दर निर्धारित की गई हैं।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

पत्रांक : 464 / सू.एवंलो.स.वि. (विज्ञा.)42 / 2016 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड।
2. समिति के सदस्यों को।
3. सम्बन्धित जिला सूचना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार सम्बन्धित आवेदकों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक